<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 24.02.2026</u>

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा हत्यारोपी को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–105/26 धारा 191(2),190,115(2),117(2),103(1),109,351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त– अरूण मिश्रा पुत्र स्व0 पारसनाथ मिश्रा जो मृतक सुभाष चंद्र मिश्रा जी का सगा भाई है, को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 22.02.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत सुदईपुरवा दत्तनगर में दो पक्षों में जो आपस में संगे भाई पट्‌टीदार है के बीच जमीन के कब्जेदारी को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी है। घटना में 03 लोग सुभाष चन्द्र मिश्रा, विश्वास चन्द्र मिश्रा व आकाश मिश्रा घायल हो गए जिन्हे पुलिस द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान सुभाष चन्द्र मिश्रा पुत्र स्व0 पारस नाथ मिश्रा जी की मृत्यु हो गयी, प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज में मृतक के संगे भाई अरूण मिश्रा पुत्र स्व0 पारसनाथ मिश्रा समेत 04 नामजद व अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्र0नि0 को0 कर्नलगंज को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। जिसमें दिनांक 23.02.2025 को थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा आज दिनांक 24.02.2026 को फरार चल रहे आरोपी अभियुक्त अरूण मिश्रा पुत्र स्व0 पारसनाथ मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. अरूण मिश्रा पुत्र स्व0 पारसनाथ मिश्रा नि0 सुदईपुरवा दत्तनगर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–105/26 धारा 191(2),190,115(2),117(2),103(1),109,351(3) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 नरेन्द्र प्रताप राय थाना कर्नलगंज।
02. उ0नि0 अश्रय मिश्रा।
03. उ0नि0 सरफराज खान।
04. हे0का0 दीपक मिश्रा।
05. का0 अरूण कुमार।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 24.02.2026

सेवा, सुरक्षा और सहयोगः गोण्डा पुलिस ने निभाया मानवीय दायित्व, थैलेसीमिया पीडित बालक को मिला जीवनदायी रक्तः–

गोण्डा। आज दिनांक 24.02.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल, को जिला अस्पताल गोण्डा से एक 15 वर्षीय बालक ऋषि शुक्ला पुत्र जयप्रकाश शुक्ला निवासी ग्राम/पोस्ट परसा गोण्डरी, थाना को0 कर्नलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि वह थैलेसीमिया मेजर नामक गंभीर अनुवांशिक रक्त रोग से पीड़ित है। उक्त बीमारी के कारण उसके शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य नहीं रह पाता, जिसके चलते उसे प्रत्येक माह नियमित रूप से रक्त चढ़ाया जाना अनिवार्य होता है। वर्तमान में उसकी स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों द्वारा तत्काल ए' पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता बताई गई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए कि बालक को शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक रक्त उपलब्ध कराया जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में जनपद पुलिस द्वारा तत्काल रक्तदाताओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। इसी क्रम में प्रशिक्षणरत रिक्रूट आरक्षी आकाश शर्मा द्वारा मानवता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए स्वेच्छा से रक्तदान हेतु सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात वे जिला अस्पताल गोण्डा पहुंचकर आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण पूर्ण कराने के उपरांत बालक को। पॉजिटिव रक्त उपलब्ध कराया। समय रहते रक्त उपलब्ध हो जाने से बालक का उपचार सुचारु रूप से प्रारम्भ कराया गया।

बालक के परिजनों द्वारा जनपद पुलिस एवं विशेष रूप से रिक्रूट आरक्षी आकाश शर्मा के इस मानवीय एवं सराहनीय कार्य के प्रति आभार व्यक्त किया गया। पुलिस विभाग का यह कार्य जनसेवा, संवेदनशीलता एवं सामाजिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। जनपद गोण्डा पुलिस आमजन की सुरक्षा के साथ–साथ मानवीय सरोकारों के प्रति भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा आवश्यकता पड़ने पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने हेतु तत्पर रहती है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 24.02.2026

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 05 वर्ष का कारावास व रूपए 36,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 01.06.1992 को वादी माता प्रसाद, द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि आज रात वह अपने गन्ने के खेत की रखवाली कर रहा था। रात्रि लगभग 10:30 बजे आवाज सुनकर टार्च जलाकर देखा तो मुबारक पुत्र मोहम्मद अली व अन्य अभियुक्त गाली–गलौज करते हुए उसे मारने हेतु दौड़े। शोर मचाने पर नीबर, रामदेव, संचित व सुकई मौके पर आ गए। अभियुक्तगण फायर करते हुए भागे, जिससे नीबर, रामदेव व संचित को चोटें आईं। ग्रामीणों ने मुबारक को पकड़ लिया, जिसके पास से एक कट्टा व कारतूस बरामद हुआ। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें थाना परसपुर पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तों– मुबारक पुत्र मोहम्मद अली, भगवानदीन पुत्र पूद्दन व जगन्नाथ पुत्र रामविलास को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 31.10.1992 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे अपर एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार तृतीय, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर का0 शिवपाल व थाना परसपुर के पैरोकार का0 शशिकांत के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 24.02.2026 को दोषी अभियुक्त मुबारक पुत्र मोहम्मद अली को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का कारावास व 36,000/– रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्तगण भगवानदीन पुत्र पूद्दन व जगन्नाथ पुत्र रामविलास को दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त का नाम पता–

01. मुबारक पुत्र मोहम्मद अली नि0 भवापुरवा मरचौर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु0अ0सं0–104/92 धारा 307/34,323/34,504 भादवि व 27(2) आयुध अधिनियम थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।